न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास– पीयुष समारिया,आई.ए.एस.,

रसद मामला संख्या– 103/2021
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2021/151

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
राजस्थान सरकार जरिये देवाराम सारण, प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्योलय, नागौर		राकेश उर्फ राजेश पुत्र पप्पाराम बिश्नोई निवासी कोसाणा तहसील पीपाड सिटी जिला जोधपुर।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री रामावतार पूनिया।
2. अप्रार्थी की ओर से वकील श्री मुकेश सारस्वत।

निर्णय दिनांक – 25/5/2022

1. प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जब्तसुदा बोलेरो वाहन संख्या अंकित नही, चौसिस नं.MA1ZU2TNKM1G59937 मय 400 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, पांच लीटर क्षमता का लोहे का एक मापक व एक फिल्टर को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।
2. प्रकरण में प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने कथन किया कि दिनांक 10.10.2021 को पुलिस थाना गोटन द्वारा दूरभाष पर अवैध बायोडीजल डिटैन करने की सूचना दिये जाने पर कंवराराम, जिला रसद अधिकारी, नागौर हमराह देवाराम सारण प्रवर्तन अधिकारी, श्री रामजीवन बेनीवाल, प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक पुलिस थाना गोटन पहुंचकर थानाधिकारी पुलिस थाना गोटन से सम्पर्क किया। थानाधिकारी पुलिस थाना गोटन की तहरीर के आधार पर मौके पर डिटैनशुदा वाहन बोलेरो पिकअप वाहन संख्या अंकित नही का मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वाहन के पीछे 2500 लीटर क्षमता का एक टैंकर बना हुआ है जिसमें कुछ मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। वाहन पर बने टैंक से एक डिस्पेसिंग यूनिट लगा हुआ पाया गया। डिस्पेंसिंग यूनिट के एक पेट्रोलियम पदार्थ को बाहर निकालने की मात्रा दर्शाने वाला इलेक्ट्रोनिक मीटर व एक नोजल लगा हुआ पाया गया। वाहन मे पांच लीटर क्षमता का एक लोहे का मापक व एक फिल्टर पाया गया। मौके पर उपस्थित व्यक्ति अप्रार्थी राजेश उर्फ राकेश से पूछताछ कर बयान दर्ज किये गये। अपने बयानों मे अप्रार्थी राकेश उर्फ राजेश ने बताया कि यह वाहन बोलेरों पिकअप उसकी स्वयं की है। इस वाहन के कोई दस्तावेज अप्रार्थी राकेश उर्फ राजेश के पास नही होना बताया। वाहन के पीछे बने 2500 लीटर क्षमता के टैंक में उसने दिनांक 02.10.2021 को मैसर्स श्रीराम पेट्रोलियम मेडतासिटी रोड, बोरून्दा से 750 लीटर डीजल भरवाना बताया। उक्त डीजल को उसने स्वयं के वाहनों मे भरने के पश्चात, महादेव सेण्ड स्टॉन, भाटियों की ढाणी मे कार्यरत वाहनों मे भरने हेतु ले जाना बताया। उसी दौरान बौकलिया मे खडी मेरी बोलेरो पिकअप को पुलिस द्वारा डिटैन कर पुलिस थाना गोटन लाया गया। वाहन के टैंक से लगे नोजल से पेट्रोलियम पदार्थ को एल्युमिनियम की एक स्वच्छ बाल्टी मे भरा गया। प्रथम दृष्टया यह पदार्थ मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ प्रतीत हुआ। अप्रार्थी राजेश उर्फ राकेश से पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन, भण्डारण व व्यापार से सम्बन्धित किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाने पर उक्त पेट्रोलियम पदार्थ को अवैध मानते हुए पिकअप बोलेरों वाहन संख्या अंकित नही, चौसिस नं. MA1ZU2TNKM1G59937 मय पेट्रोलियम पदार्थ, पांच लीटर क्षमता का लोहे का एक मापक व एक फिल्टर अप्रार्थी राजेश उर्फ राकेश से जब्त सरकार किया गया। जब्तसुदा वाहन पर बने टैंक मे भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ का डिप रोड से मापन करने पर टैंक में कुल 400 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। जब्तसुदा वाहन पर बने टैंक के इनलेट दो ढक्कनों को सील चस्पा किया गया व डिस्पेंसिंग यूनिट से लगे नोजल को प्लास्टिक सील सं. 639749 से सील्ड किया गया। मौके पर जब्तसुदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:10:23 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर,नागौर

बोलेरो वाहन संख्या अंकित नही, चौसिस नं. MA1ZU2TNKM1G59937 मय 400 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, पांच लीटर क्षमता का लोहे का एक मापक व एक फिल्टर पुलिस थाना गोटन की सुपुर्दगी मे दिया गया और प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये। श्री राजेश उर्फ राकेश पुत्र श्री पप्पाराम निवासी कोसाणा तहसील पीपाड सिटी जिला जोधपुर का यह कृत्य पेट्रोलियम उत्पाद MS & HSD आदेश 2005 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी नियंत्रण आदेशों का स्पष्ट उल्लघंन है जो धारा 7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से प्रकरण में जब्तसुदा बोलेरो वाहन संख्या अंकित नही, चौसिस नं.MA1ZU2TNKM1G59937 मय 400 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, पांच लीटर क्षमता का लोहे का एक मापक व एक फिल्टर को राजसात करने का निवेदन किया।

3. वकील श्री मुकेश सारस्वत ने अप्रार्थी के पिता पपाराम विश्नोई पुत्र श्री भागुराम जाति विश्नोई निवासी कोसाणा तहसील पींपाड़ सिटी जिला जोधपुर की ओर जबाब प्रस्तुत किया और कथन किया कि उक्त प्रकरण में रसद विभाग द्वारा 10.10.2021 को कुल 400 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं पिकअप वाहन आदि जब्त किये थे। उक्त जब्तशुदा 400 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने पर अप्रार्थी राकेश उर्फ राजेश जो कि पपाराम विश्नोई का पुत्र है उसको कोई आपत्ति नहीं है व जब्तशुदा वाहन पिकअप मेरे स्वामित्व की होने से में यह जबाब पेश किया गया है। मेरा पुत्र भी उक्त जबाब से सहमत है। वकील श्री मुकेश सारस्वत द्वारा यह भी निवेदन किया कि उक्तानुसार न्यायालय हाजा में प्रस्तुत जबाब पर अप्रार्थी राकेश उर्फ राजेश व उसके पिता पपाराम द्वारा अपने हस्ताक्षर किये है, का कथन करते हुए प्रकरण में उचित निर्णय करने एवं उक्त पिकअप वाहन न्यूनतम जुर्माना पर छोड़ने का निवेदन किया है।

4. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में दिनांक 10.10.2021 को पुलिस थाना गोटन द्वारा दूरभाष पर अवैध बायोडीजल डिटैन करने की सूचना दिये जाने पर जिला रसद अधिकारी व प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक सहित पुलिस थाना गोटन पहुंचकर पुलिस थाना गोटन की तहरीर के आधार पर मौके पर मौका निरीक्षण कर डिटैनशुदा वाहन बोलेरो पिकअप वाहन संख्या अंकित नही का मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण के दौरान उक्त वाहन के पीछे 2500 लीटर क्षमता का टैंकर में पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। वाहन पर बने टैंक से एक डिस्पेसिंग यूनिट लगा हुआ था, जिसके एक पेट्रोलियम पदार्थ को बाहर निकालने की मात्रा दर्शाने वाला इलेक्ट्रोनिक मीटर व एक नोजल इसके अलावा वाहन मे पांच लीटर क्षमता का एक लोहे का मापक व एक फिल्टर पाया गया। मौके पर उपस्थित व्यक्ति अप्रार्थी राजेश उर्फ राकेश से पूछताछ कर बयान दर्ज किये गये, जिसमें उसने वाहन बोलेरों पिकअप उसकी स्वयं की होना, इस वाहन के कोई दस्तावेज उसके पास नही होना तथा वाहन के पीछे बने टैंक में उसके द्वारा दिनांक 02. 10.2021 को मैसर्स श्रीराम पेट्रोलियम मेडतासिटी रोड, बोरून्दा से 750 लीटर डीजल भरवाना बताया। उक्त डीजल को उसने स्वयं के वाहनों मे भरने के पश्चात, महादेव सेण्ड स्टॉन, भाटियों की ढाणी मे कार्यरत वाहनों मे भरने हेतु ले जाना बताया। उसी दौरान बौकलिया मे खडी स्वंय बोलेरो, पिकअप को पुलिस द्वारा डिटैन कर पुलिस थाना गोटन लाया गया। इस प्रकार प्रथम दृष्टया यह पदार्थ मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ प्रतीत हुआ। अप्रार्थी से पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन, भण्डारण व व्यापार से सम्बन्धित किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाने पर उक्त पेट्रोलियम पदार्थ को अवैध मानते हुए पिकअप बोलेरों वाहन संख्या अंकित नही, चौसिस नं. MA1ZU2TNKM1G59937 मय पेट्रोलियम पदार्थ, पांच लीटर क्षमता का लोहे का एक मापक व एक फिल्टर अप्रार्थी राजेश उर्फ राकेश से जब्त सरकार किया गया। जब्तसुदा वाहन पर बने टैंक मे कुल 400 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाये गये, जो पुलिस थाना गोटन की सुपुर्दगी मे गये। इस प्रकार अप्रार्थी श्री राजेश उर्फ राकेश यह कृत्य पेट्रोलियम उत्पाद MS & HSD आदेश 2005 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी नियंत्रण आदेशों का स्पष्ट उल्लघंन है जो धारा 7 के तहत दण्डनीय अपराध भी होने से प्रकरण में जब्तसुदा बोलेरो वाहन संख्या अंकित नही, चौसिस नं.MA1ZU2TNKM1G59937 मय 400 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, पांच लीटर क्षमता का लोहे का एक मापक व एक फिल्टर को राजसात करने का प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) द्वारा निवेदन किया गया है। उक्त संबंध में अप्रार्थी के पिता एव स्वंय अप्रार्थी राकेश उर्फ राजेश द्वारा जबाब पेश कर प्रकरण में जब्तशुदा 400लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर करते हुए उक्त पिकअप वाहन को न्यूनतम जुर्माना पर छोड़ने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:10:23 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा बोलेरो वाहन संख्या अंकित नही, चौसिस नं.MA1ZU2TNKM1G59937 मय 400 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, पांच लीटर क्षमता का लोहे का एक मापक व एक फिल्टर को समपहरण (Confiscate) किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा 400 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, पांच लीटर क्षमता का लोहे का एक मापक व एक फिल्टर का नियमानुसार कीमतन निस्तारण करने का जिला रसद अधिकारी नागौर को आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। प्रकरण में जब्तशुदा उक्त बोलेरा वाहन संख्या अंकित नही, चैसिस नं.MA1ZU2TNKM1G59937 को राजसात करने के बदले में अप्रार्थी पर 40,000 / –रूपये जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा उक्त जुर्माना राशि इस आदेश की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में नियमानुसार जमा करवाये जाने पर उक्त बोलेरो वाहन को उसके वास्तविक स्वामी को सुपुर्द करने एवं नियत अवधि में अप्रार्थी द्वारा उक्त जुर्माना राशि जमा नहीं करवाई जाने पर उक्त बोलेरो वाहन की खुली बोली द्वारा विधिवत नीलामी की कार्यवाही कर जुर्माना राशि वसूल करने का जिला रसद अधिकारी नागौर को आदेश दिया जाता है। उपर्युक्तानुसार आदेश के कम में प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाने का जिला रसद अधिकारी नागौर को आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

6. निर्णय सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर,नागौर
कलक्टर,नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:10:23 IST
Reason: SelfAttested